नोट

इकाई–17: तलाक, विधवापन एवं पुनर्विवाह (Divorce, Widowhood and Remarriage)

अनुक्रमणिका (Contents)

उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तावना (Introduction)

17.1 विवाह-विच्छेद की समस्या (Problem of Divorce)

17.2 विधवा पुनर्विवाह का निषेध (Restriction on Widow Remarriage)

17.3 सारांश (Summary)

17.4 शब्दकोश (Keywords)

17.5 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

17.6 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी योग्य होंगे–

- विवाह-विच्छेद की समस्या का अध्ययन।
- विधवा पुनर्विवाह के औचित्य की जानकारी।
- हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की जानकारी।
- विवाह संबंध में न्यायिक पृथक्करण के आधारों की जानकारी।

प्रस्तावना (Introduction)

सारे प्रमाणों से प्रकट होता है कि प्राचीन काल में विधवा पुनर्विवाह प्रचलित थे। देवर शब्द का अर्थ भी दूसरे वर से लिया गया है, किन्तु धीरे-धीरे विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगी, नियोग को पुरातन नियमों का उल्लंघन माना गया और पुनर्विवाह करने वाली विधवा की स्थिति भी निम्न हो गयी। **वात्स्यायपन** 'पुनर्भ' का उल्लेख एक भोगनी स्त्री के रूप में करते हैं। **याज्ञवल्क्य** विधवा को फल-फूल एवं जड़ों पर जीवन बसर करने एवं पवित्र बने रहने को कहते हैं। ईसा के 600 वर्ष बाद स्मृतिकारों ने विधवा को निन्दनीय माना और अल्टेकर का मत है कि ग्यारहवीं सदी के बाद तो बाल-विधवाओं तक के पुनर्विवाह पर रोक लगा दी गयी, किन्तु यह सब हिन्दू समाज के उच्च वर्गों में ही लागू था, अस्सी प्रतिशत हिन्दू जो निम्न वर्ग में आते हैं उनमें तो विधवा पुनर्विवाह प्रचलित रहे हैं।

17.1 विवाह-विच्छेद की समस्या (Problem of Divorce)

नोट

इसमें एक साथी दूसरे का मूल्यांकन कर लेता है और जिसे रद्द कर दिया जाता है वह अपने आपको अपमानित एवं कुचला हुआ महसूस करता है, उसके आत्मभिमान को चोट पहुँचाती है। यह एक वैधानिक, पारिवारिक एवं सामाजिक समस्या भी है।

हिन्दूओं में स्त्री के लिए पतिव्रत तथा सतीत्व के पालन की बात कही गयी है, अत: स्त्री द्वारा पति त्यागने की कल्पना नहीं की जा सकती और ऐसा करना उसके लिए सामाजिक व धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना गया, यद्यपि वैदिक काल में विवाह-विच्छेद के कुछ उदाहरण हैं। मनु, नारद, वृहस्पति, पाराशर, आदि ने भी कुछ परिस्थितियों में विवाह-विच्छेद को स्वीकृति प्रदान की है। मनु ने स्त्री बांझ होने, उसके बच्चे जीवित न रहने या केवल लड़कियाँ ही होने अथवा झगड़ालू होने पर दूसरा विवाह करने की बात कही है। कौटिल्य ने भी ऐसी अवस्थाओं में पति को दूसरा विवाह करने की स्वीकृति दी है।

पति के जीवित रहते दूसरा विवाह करने वाली स्त्री को 'पुनर्भू' कहा गया है। यदि पति दुश्चरित्र हो, बहुत समय से विदेश में हो, अपने बन्धु-बान्धवों के प्रति कृतघ्न हो, जाति से बहिष्कृत कर दिया गया हो, पुरुषत्वहीन हो या उससे पत्नी के जीवन को संकट उत्पन्न हो सकता है तो ऐसी स्थिति में कौटिल्य पति को त्यागने की बात कहते हैं। पारस्परिक शत्रुता के कारण भी विवाह-विच्छेद हो सकता था। नारद एवं पाराशर के पति के नपुंसक होने, अज्ञात होने, मर जाने, साधु हो जाने, जातिच्युत हो जाने की अवस्था में स्त्री को दूसरा पति ढूंढ़ने की स्वीकृति दी है।

किन्तु ईसा काल के प्रारम्भ से ही नैतिकता की दुहाई देकर विवाह-विच्छेद को अधार्मिक, अपवित्र एवं घृणित कार्य समझा जाने लगा और उसके बाद तो विवाह-विच्छेद लगभग समाप्त ही हो गये। ईसा के 1000 वर्ष बाद तो यह धारणा दृढ़ हो गयी कि कन्यादान सिर्फ एक ही बार किया जाता है और पति चाहे कितना ही दुश्चरित्र एवं अत्याचारी क्यों न हो, उसे नहीं छोड़ा जा सकता। विवाह-विच्छेद की स्वीकृति भी आठ प्रकार के विवाहों में से अन्तिम चार में दी गयी थी। प्रथम चार प्रकार के विवाहों को 'धर्म्य' माना गया है और उनमें विवाह-विच्छेद सम्भव नहीं था। विवाह-विच्छेद की समस्या का सम्बन्ध हिन्दुओं की उच्च जातियों से ही है। निम्न जातियों में तो आज भी विवाह-विच्छेद होते हैं। हिन्दुओं में पुरुष को तो विवाह-विच्छेद की स्वीकृति दी गयी है, किन्तु स्त्रियों को नहीं। इसका कारण समाज में पुरुषों की प्रधानता एवं स्त्रियों की निम्न सामाजिक स्थिति है।

नोट्स सामाजिक एवं कानूनी रूप से पति-पत्नी के विवाह सम्बन्धों की समाप्ति ही विवाह-विच्छेद कहलाता है। विवाह-विच्छेद पति-पत्नी के वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन में असामंजस्य एवं असफलता का सूचक है। इसका अर्थ यह है कि जिन उद्देश्यों को लेकर विवाह किया गया वे पूर्ण नहीं हुए हैं। यह एक दु:खद घटना है, विश्वास की समाप्ति है, प्रतिज्ञा एवं मोह भंग की स्थिति है।

विवाह-विच्छेद के कारण (Causes of Divorce)

शास्त्रकारों के विवाह-विच्छेद के लिए पति के नपुंसक होने, स्त्री के बांझ होने, केवल लड़कियाँ ही होने, दुश्चरित्र होने एवं झगड़ालू होने की स्थिति में स्वीकृति दी है जो विवाह-विच्छेद के कारण हैं। दामले, फोनसेका तथा चौधरी ने विवाह-विच्छेद के अपने अध्ययनों में इसके कारणों को भी ज्ञात किया है।

दामले के अनुसार पारिवारिक सामंजस्य में कमी (जिसमें पति-पत्नी के झगड़े, पति द्वारा दुर्व्यवहार एवं ससुराल वालों से झगड़े सम्मिलित हैं), पत्नी का बांझपन, पति या पत्नी का अनैतिक व्यवहार, बीमार या स्वाभाव के कारण पति द्वारा परिवारिक दायित्वों का निर्वाह न करना, पति को सजा होना, आदि विवाह-विच्छेद के प्रमुख कारण रहे हैं।

नोट

फोनसेका ने पाया कि विवाह-विच्छेद के लिए परित्याग और क्रूरता (69.1%), पर-व्यक्तिगमन (20%), नपुंसकता, (8.3%), आदि प्रमुख कारण हैं।

चौधरी ने अपने अध्ययन में विवाह-विच्छेद के लिए अवैध सम्बन्ध, अपर्याप्त गृह जीवन, शारीरिक प्रहार, गरीबी, पत्नी का रोजगारमय जीवन, भूमिका संघर्ष, चिड़चिड़ा स्वभाव, असाध्य रोग, नपुंसकता, आयु में अधिक अन्तर एवं रौब जमाने वाला स्वभाव, आदि को उत्तरदायी माना है।

विवाह-विच्छेद के विपक्ष में तर्क (Arguments against Divorce)

कई लोग विवाह-विच्छेद को उचित नहीं मानते। वे इसके विपक्ष में जो तर्क देते हैं, वे इस प्रकार से हैं–(*i*) **धर्म विरोधी**–हिन्दू विवाह एक पवित्र धार्मिक संस्कार और जन्म-जन्मान्तर का बन्धन है। इसे तोड़ना अक्षम्य अपराध है। (*ii*) **पारिवारिक विघटन**–इससे पारिवारिक विघटन में वृद्धि होगी। (*iii*) **स्त्रियों के भरण-पोषण की समस्या**–विवाह-विच्छेद से स्त्रियों के भरण-पोषण की समस्या पैदा हो जायेगी क्योंकि वे आर्थिक दृष्टि से पति पर ही निर्भर हैं। (*iv*) **बच्चों की समस्या**–इससे बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उनके लालन-पालन की समस्या पैदा हो जायेगी और उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पायेगा।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें–

1. .... ने पाय कि विवाह-विच्छेद के लिए परित्याग और क्रूरता (69.1%), पर-व्यक्तिगमन (20%), नंपुसकता (8.3%) आदि प्रमुख कारण हैं।
2. हिन्दू विवाह एक पवित्र धार्मिक .... और जन्म-जमान्तर का बंधन है।
3. स्त्रियों को विवाह-विच्छेन का .... मिलने पर उनकी परिवारिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

विवाह-विच्छेद का औचित्व (Justification of Divorce)

1. **समानता का अधिकार**–वर्तमान में स्त्री-पुरुषों को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्रदान किये गये हैं, ऐसी स्थिति में विवाह-विच्छेद का अधिकार केवल पुरुषों को ही नहीं वरन् स्त्रियों को भी प्राप्त होना चाहिए।
2. **पारिवारिक संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए**–सुखी वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन के लिए विवाह-विच्छेद का अधिकार दोनों ही पक्षों को समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। संयुक्त परिवार में तो स्त्री परिवार के अन्य लोगों पर भी निर्भर थी, किन्तु वर्तमान समय में एकाकी परिवारों में पति-पत्नी एवं बच्चे ही होते हैं। ऐसी स्थिति में पति के दुराचारी होने या वैवाहिक दायित्व न निभाने पर पत्नी व बच्चों का कोई अन्य सहारा नहीं होता। ऐसी दशा में स्त्री व बच्चों की रक्षा के लिए एवं परिवार को सुसंगठित बनाने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों में विवाह-विच्छेद की स्वीकृति दी जानी चाहिए।
3. **स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए**–स्त्रियों को विवाह-विच्छेद का अधिकार मिलने पर उनकी पारिवारिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, पुरुष के स्त्री के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा, पति-पत्नी में अविश्वास के भाव समाप्त होंगे और **अन्तर्जातीय** प्रेम बढ़ेगा, साथ ही पुरुषों की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा। फिर प्राचीन काल में भी स्त्रियों को यह अधिकार प्राप्त था तो वर्तमान में क्यों न हो?
4. **वैवाहिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए**–वर्तमान में हिन्दू विवाह से सम्बन्धित अनेक समस्याएँ पायी जाती हैं; जैसे–बाल-विवाह, अनमेल विवाह, दहेज, विधवा विवाह निषेध, आदि। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए विवाह-विच्छेद का अधिकार दिया जाना चाहिए।
5. **सामाजिक जीवन को सन्तुलित बनाने के लिए**–वर्तमान समय में हमारे सामाजिक जीवन में अनेक परिवर्तन आये हैं। स्त्रियों ने शिक्षा ग्रहण की है, वे आर्थिक, राजनितिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में

नोट

पुरुषों के समकक्ष कार्य कर रही हैं। ऐसी दशा में उन्हें विवाह के क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार न देने से समाज व्यवस्था में असन्तुलन पैदा होगा। इस स्थिति से बचने के लिए एवं माननीय दृष्टिकोण से भी स्त्रियों को विवाह-विच्छेद का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955)

18 मई, 1955 से जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में निवास करने वाले हिन्दुओं जिनमें जैन, बौद्ध एवं सिख भी सम्मिलित हैं, 'हिन्दू विवाह अधिनियम' लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा विवाह से सम्बन्धित पूर्व में पास किये गये सभी अधिनियम रद्द कर दिये गये और सभी हिन्दूओं पर एक समान कानून लागू किया गया। इस अधिनियम में हिन्दू विवाह की प्रचलित विभिन्न विधियों को मान्यता प्रदान की गयी है। साथ ही सभी जातियों के स्त्री-पुरुषों को विवाह एवं तलाक के अधिकार प्रदान किये गये हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

विवाह की शर्तें (Conditions of Marriage)

किन्हीं दो हिन्दू स्त्री-पुरुषों के बीच विवाह के लिए निम्नांकित शर्तें रखी गयी हैं–

(*i*) स्त्री एवं पुरुष दोनों में से किसी का विवाह के समय दूसरा जीवन-साथी जीवित न हो। (*ii*) वर-वधू दोनों में से कोई भी विवाह के समय पागल या मूर्ख न हो। (*iii*) विवाह के समय वर की आयु 18 वर्ष और वधू की आयु 15 वर्ष से कम न हो, किन्तु मई 1976 में इस अधिनियम में संशोधन कर वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष कर दी गयी है। (*iv*) दोनों पक्ष निषेधात्मक नातेदारी सम्बन्धों में न आते हों अर्थात् जिन प्रथाओं से वे नियन्त्रित होते हैं उनके विपरीत न हों। (*v*) दोनों पक्ष सपिण्डी न हों यदि उनकी परम्परा के अनुसार सपिण्ड विवाह मान्य है तो ऐसे विवाह को मान्यता दी जायेगी। (*vi*) यदि वधू की आयु 18 वर्ष से कम है तो उसके अभिभावकों की स्वीकृति ज़रूरी है, अभिभावक न होने पर ऐसी अनुमति के बिना भी विवाह वैध है।

विवाह-सम्बन्ध की समाप्ति (Void of Marriage)

निम्नांकित दशाओं में विवाह होने पर भी उसे रद्द किया जा सकता है–

(*i*) विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी एक का भी जीवन-साथी जीवित हो और उससे तलाक न हुआ हो। (*ii*) विवाह के समय एक पक्ष नपुंसक हो। (*iii*) विवाह के समय कोई भी एक पक्ष जड़ बुद्धि या पागल हो। (*iv*) विवाह के एक वर्ष के अन्दर यह प्रमाणित हो जाय कि प्रार्थी अथवा उसके संरक्षक की स्वीकृति बलपूर्वक या कपट से ली गयी थी। (*v*) विवाह के एक वर्ष के भीतर यह प्रमाणित हो जाय कि विवाह के समय पत्नी किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी और प्रार्थी इस बात से अनभिज्ञ था।

न्यायिक पृथक्करण (Judicial Separation)

इस अधिनियम की धारा 10 में कुछ आधारों पर पति-पत्नी को अलग रहने की आज्ञा दी जा सकती है। यदि पृथक् रहकर वे मतभेदों को भुलाने में सफल हो जाते हैं तो वैवाहिक सम्बन्धों की पुनर्स्थापना की जा सकती है। न्यायिक पृथक्करण के आधार निम्नांकित हैं–

(*i*) बिना कारण बताये प्रार्थी को दूसरे पक्ष ने प्रार्थना-पत्र देने के दो वर्ष पूर्व से छोड़ रखा हो। (*ii*) प्रार्थी के साथ दूसरे पक्ष द्वारा क्रूरता का व्यवहार किया जाता हो। (*iii*) प्रार्थना-पत्र देने के एक वर्ष पूर्व से दूसरा पक्ष असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। (*iv*) दूसरे पक्ष को कोई ऐसा संक्रामक यौन रोग हो जो प्रार्थी के संसर्ग से नहीं हुआ हो। (*v*) यदि दूसरा पक्ष प्रार्थना-पत्र देने के एक वर्ष पूर्व से पागल हो। (*vi*) यदि दूसरे पक्ष ने विवाह होने के बाद अन्य व्यक्ति के साथ सम्भोग किया हो।

नोट

न्यायिक पृथक्करण की आज्ञा मिलने के बाद दो वर्ष के भीतर भी वे अपने सम्बन्धों को सुधारने में असफल रहते हैं तो वे तलाक के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं जो कि धारा 13 के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता है।

विवाह-विच्छेद (Divorce)

निम्नांकित आधारों पर न्यायालय विवाह-विच्छेद की स्वीकृति दे सकता है–

(*i*) दूसरा पक्ष व्यभिचारी हो। (*ii*) दूसरे पक्ष ने धर्म-परिवर्तन कर लिया हो और हिन्दू न रह गया हो। (*iii*) प्रार्थना-पत्र दिये जाने के तीन वर्ष पहले से दूसरा पक्ष असाध्य कुष्ठया संक्रामक रोग से पीड़ित हो। (*iv*) दूसरा पक्ष संन्यासी हो गया हो। (*v*) पिछले सात वर्षों से दूसरे पक्ष के जीवित होने के बारे में न सुना गया हो। (*vi*) दूसरे पक्ष ने न्यायिक पृथक्ककरण के दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के बाद तक पुन: सहवास न किया हो। (*vii*) दूसरे पक्ष ने दाम्पत्य अधिकारों के पुन: स्थापना हो जाने के दो वर्ष बाद तक उस पर अमल न किया हो। (*viii*) पति बलात्कार, गुदा मैथुन (Sodomy) अथवा पशुगमन (vestiality) का दोषी हो।

इस अधिनियम से स्पष्ट है कि **न्यायिक पृथक्करण और विवाह-विच्छेद** दो भिन्न बातें हैं। पृथक्करण की आज्ञा देकर न्यायालय दोनों पक्षों को समझौते के अवसर प्रदान करता है। यदि फिर भी वे साथ रहने को सहमत न हों तो विवाह भंग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कुछ परिस्थितियों में ही विवाह-विच्छेद की सीधी अनुमति दी जा सकती है। इस अधिनियम में पति अथवा पत्नी के लिए निर्वाह धन (alimony) की व्यवस्था भी की गयी है। यह राशि उस समय तक दी जायेगी जब तक निर्वाह धन प्राप्त करने वाला दूसरा विवाह न कर ले। इस अधिनियम के द्वारा पृथक्करण एवं विवाह-विच्छेद प्राप्त करना उतना सरल नहीं है जितना सोचा जाता है।

17.2 विधवा पुनर्विवाह का निषेध (Restriction on Widow Remarriage)

विधवा वह स्त्री है जिसके पति की मृत्यु हो गयी हो और जिसने दूसरा विवाह नहीं किया हो। ऐसी स्त्री का पुन:विवाह करना ही विधवा पुनर्विवाह कहलाता है। हिन्दुओं में पत्नी की मृत्यु पर पति को तो दूसरा विवाह करने की छूट दी गयी है क्योंकि पत्नी के बिना वह धार्मिक कार्य सम्पन्न नहीं कर सकता, किन्तु दूसरी ओर पति की मृत्यु होने पर पत्नी को दूसरा विवाह करने की मनाही है, उसे कई सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है, वह अच्छा भोजन नहीं कर सकती, अच्छे वस्त्र, तेल, फूल, इत्र एवं सुगन्धित वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर सकती। इसी प्रकार विवाह की यह सुविधा एकपक्षीय है जो पुरुष ने अपने लिए तो रखी पर स्त्री को इससे वंचित कर दिया।

वैदिक काल में विधवा-विवाह पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। ऋग्वेद में दाह-संस्कार सम्बन्धी ऋचा में मृत पति की चिता के पास बैठी उसकी विधवा से यह कहा गया है कि उठ खड़ी हो और जीवितों के संसार में आ। "वह जिसके पास तुम पड़ी हो निर्जीव है, आओ इस पति के प्रति तुम्हारा पत्नीत्व, जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और प्रेम किया, पूर्ण हो चुका है।" **अथर्ववेद** में यह जोड़ दिया गया, "उसके निकट जाओ जो तुम्हारा हाथ पकड़ता है और तुम्हें प्रेम करता है। तुम उससे पति-पत्नी के सम्बन्ध में प्रविष्ट हो चुकी हो।" '**वृहद्देवंता**' नामक ग्रन्थ में छोटा भाई बड़े भाई की पत्नी को चिता पर चढ़ने से रोकता है। **अश्वलायन** के अनुसार पति के प्रतिनिधि के रूप में उसका भाई, शिष्य अथवा कोई प्रौढ़ सेवक उसे वहां से उठाये। **ऋग्वेद** में एक स्थान पर एक उपमा इस प्रकार दी गयी, "जैसे कोई विधवा अपने पति के भाई को अपनी शय्या पर आमन्त्रित करती है।" **महाभारत काल** में विधवा-विवाह प्रचलित थे। महामुनि व्यास को विचित्रवीर्य की विधवा से सन्तान पैदा करने के लिए आमन्त्रित किया गया। **रामायण** में भी उल्लेख है कि बालि की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी से उसके छोटे भाई सुग्रीव ने तथा विभीषण ने अपने भाई की विधवा स्त्री से विवाह किया था। **कौटिल्य** स्त्री को निर्देश देते हैं कि जब पति बाहर चला जाय और उसको उसके पति या उसके छोटे भाई से भरण-पोषण प्राप्त न हो, पति साधु हो जाय या मर जाय तो सात मासिक धर्म तक तथा बालक हो तो एक वर्ष तक प्रतीक्षा के बाद अपने पति के भाई से विवाह कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से प्राचीन समय में 'नियोग' की प्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु हो जाने पर पुत्र-प्राप्ति के लिए पत्नी को पति के

नोट

भाई या निकट सम्बन्धी से यौन सम्बन्ध स्थापित करने की छूट दी गयी है। स्मृति एवं काम-सूत्र में ऐसी स्त्री को **'पुनर्भू'** और उसकी सन्तान को **'पुनर्भवा'** कहा गया है। स्तृति में दो परिस्थितियों में पुनर्विवाह की स्वीकृति दी गयी है–(*i*) जब किसी स्त्री का विवाह जबरन किया गया हो, (*ii*) विवाह की पूर्णता से पूर्व ही पति की मृत्यु हो गयी हो।

विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबन्ध लगे तो सती-प्रथा को बल मिला। राजा राममोहन राय, आदि के प्रयत्नों से 1929 में सती-प्रथा पर रोक लगा दी गयी। अब विधवाओं का जीवन और भी दयनीय हो गया। अब उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों एवं प्रलोभनों का सामना करना पड़ा, उनका जीवन अभिशाप हो गया, वे जीवित रहते हुए भी मृतक की तरह रहने लगीं, किसी भी शुभ कार्य में उनकी उपस्थिति अपशकुन समझी जाने लगी, उन्हें श्रृंगार करने की स्वीकृति नहीं दी गयी, उन्हें बाल कटवाने होते और उन्हें पति की सम्पत्ति से वंचित कर दिया गया। इस कष्टमय स्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयत्नों से 1856 में 'विधवा पुनर्विवाह अधिनियम' बना।

टास्क विधवा पुनर्विवाह निषेध का वर्णन करें।

क्रुक ने लिखा है कि पिछली सदी के अन्त में उत्तर प्रदेश में 24% जातियाँ विधवा पुनर्विवाह निषेध का पालन करती थीं। **मेन** का मत है कि दक्षिणी भारत की अधिकांश जातियों तथा गूजर, अहीर, कुरमी और गड़रिया, आदि में विधवा पुनर्विवाह प्रचलित है। उत्तरी बिहार में ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत एवं बनियों के अतिरिक्त जातियों में विधवा पुनर्विवाह प्रचलित है। **एस. एन. अग्रवाल** ने बताया कि ग्रामीण दिल्ली में 62% और पश्चिमी भारत में 41% जातियों में जो निम्न जातियाँ हैं, विधवा पुनर्विवाह पाया जाता है। ग्रामीण रोहतक में 54 ब्राह्मण विधवाओं में से तीन ने, 12 बनिया विधवाओं में से एक ने, क्षत्रिय अरोड़ा विधवा में से एक ने पुनर्विवाह किया तथा ग्रामीण दिल्ली की 19 ब्राह्मण विधवाओं में से एक ने भी पुनर्विवाह नहीं किया, जबकि निम्न जातियों में विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन है, किन्तु उच्च जातियों में नहीं और उनके लिए ही यह एक भयंकर समस्या बनी हुई है।

क्या आप जानते हैं वर्तमान में भारत में विधवाओं की संख्या करीब 3 करोड़ है जबकि निम्न जातियों में विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन है।

विधवा विवाह के प्रतिकूल परिस्थितियाँ

विभिन्न धार्मिक-सामाजिक परिस्थितियों ने ही विधवाओं के विवाह पर रोक लगायी। वे परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं–

1. **कन्यादान का आदर्श**–भारत में कन्यादान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। एक बार दान की हुई वस्तु का पुन: दान नहीं हो सकता। अत: विधवा का पुनर्विवाह भी अनुचित माना गया।
2. **पवित्रता की धारणा**–हिन्दुओं में पवित्रता की धारणा में यौन पवित्रता को श्रेष्ठ माना गया है, प्रमुख रूप से स्त्री के लिए तो इसका कठोरता से पालन करने पर ज़ोर दिया गया है। यही कारण है कि विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति नहीं दी गयी है।
3. **धार्मिक व सामाजिक निषेधों के प्रति श्रद्धा**–विधवाओं के विवाह पर सामाजिक व धार्मिक दृष्टि से रोक लगा दी गयी जिसका पालन भारत में धर्मभीरु जनता से अक्षरश: किया और विधवाओं को पुनर्विवाह से वंचित कर दिया।
4. **रक्त-शुद्धता की धारणा**–बाह्य आक्रमणकारी और प्रमुख रूप से मुसलमान हिन्दू विधवाओं से भी विवाह कर लेते थे। रक्त-शुद्धता एवं धर्म की रक्षा के लिए हिन्दू विधवाओं पर पुनर्विवाह की रोक कड़ी कर दी गयी।

नोट

5. **भाग्यवादिता**—भारत के लोग सामान्यत: भाग्यवादी हैं। कई लोग यह मानते हैं कि विधवा एक अभागिन स्त्री है, यदि उसका दूसरा विवाह कर दिया जाता है तो भी वह सुखी नहीं रह सकती और नये पति को भी उसके दुर्भाग्य का शिकार होना पड़ सकता है। अत: उससे सामान्यत: कोई विवाह नहीं करना चाहता।
6. **विवाह जन्म-जन्मान्तर का बन्धन**—हिन्दुओं में विवाह को जन्म-जन्मान्तर का बन्धन माना गया है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। विधवा को अपना यह जीवन समाप्त कर स्वर्ग में इन्तजार कर रहे पति से शीघ्र मिलने का प्रयास करना चाहिए।
7. **स्त्रियों में अशिक्षा**—साधारणत: स्त्रियां शिक्षा के अभाव के कारण भी रूढ़िवादी एवं धर्मभीरु हैं अत: धार्मिक नियमों का पालन करना वे अपना परम दायित्व समझती हैं।
8. **पराश्रिता**—स्त्रियों में शिक्षा का अभाव होने और आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर निर्भर होने के कारण उन्हें पुरुषों द्वारा उनके लिए बनाये गये नियमों का पालन करना पड़ता है।
9. **जातीय प्रतिबन्ध**—भारत में जाति एक शक्तिशाली संस्था रही है। जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती है उसे जाति से बहिष्कृत किया जाता रहा है। इस प्रकार जातीय बन्धन भी विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाते हैं।
10. **सतीत्व की धारणा**—सतीत्व की धारणा के कारण भी विधवा पति की मृत्यु होने के बावजूद भी दूसरा विवाह नहीं करती है।

विधवा विवाह के लिए अनुकूल परिस्थितियां

वर्तमान समय में विधवा विवाह को सामाजिक स्वीकृति दिलाने में निम्नांकित कारकों ने योग दिया है—

1. **आर्य समाज व ब्रह्म समाज के प्रयत्न**—आर्य समाज व ब्रह्म समाज दोनों ने ही विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए भरसक प्रयत्न किये और उसके कई अच्छे परिणाम भी निकले।
2. **स्त्री आन्दोलन**—स्त्रियों द्वारा स्वयं की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने के लिए किये गये प्रयत्नों ने भी विधवा विवाह को सम्भव बनाया।
3. **शिक्षा का प्रसार**—शिक्षा के प्रसार के कारण भी विधवा के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है।
4. **धर्म का घटता प्रभाव**—वर्तमान में धर्म का प्रभाव कम हुआ है। अत: धार्मिक नियमों की अवहेलना की जाने लगी और विधवाओं के भी विवाह होने लगे हैं।
5. **सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि** के कारण भी युवक एवं युवतियाँ परस्पर सहमति से विवाह करने लगे हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति यदि किसी विधवा से प्रेम करता है तो वह उसे विवाह के रूप में परिवर्तित कर सकता है।

स्व-मूल्यांकन (Self Assessment)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें—

4. शिक्षा के प्रसारण के कारण भी ········ के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है।
5. कष्टमय जीवन से मुक्ती पाने के लिए अनेक ········ ने धर्म परिवर्तन कर लिया।
6. दु:खी वैधव्य से मुक्ति पाने के लिए कई बार विधवाएँ ········ तक कर लेती हैं।

विधवा विवाह के निषेध के परिणाम

(Consequences of Widow Remarriage Prohibition)

विधवा विवाह के निषेध के अनेक दुष्परिणाम निकले हैं—(*i*) इसके कारण **सती-प्रथा का जन्म हुआ।** (*ii*) **पारिवारिक संघर्ष** पैदा हुए और विधवाओं का पारिवारिक जीवन कष्टमय हो गया, उसे अनेक प्रकार की यातनाएं

नोट

दी जाने लगीं। (*iii*) कष्टमय जीवन से मुक्ति पाने के लिए अनेक विधवाओं के अपना **धर्म परिवर्तित कर लिया** और वे मुसलमान या ईसाई बन गयीं। (*iv*) संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करने के अभाव में कुछ विधवाएं अनैतिक सम्बन्ध स्थापित कर लेती हैं इससे भ्रष्टाचार पनपता है एवं अनैतिकता को बढ़ावा मिलता है। (*v*) भरण-पोषण के अभाव में काम-इच्छा की पूर्ति के लिए कई विधवा स्त्रियाँ **वेश्यावृत्ति** तक अपना लेती हैं। (*vi*) दुःखी वैधव्य से मुक्ति पाने के लिए कई बार विधवाएँ **आत्महत्या** तक कर लेती हैं। इस प्रकार यह समाज में अपराधों के लिए भी उत्तरदायी है।

विधवा पुनर्विवाह का औचित्य (Justification of Widow Remarriage)

विधवा पुनर्विवाह के औचित्य को सिद्ध करने के लिए निम्नांकित तर्क दिये जाते हैं–

1. **विधवाओं की हृदयस्पर्शी अवस्था**–समाज में विधवाओं को अनेक सुविधाओं से वंचित किया गया है और उन पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लागू किये गये हैं; जैसे, वे अच्छे वस्त्र तथा आभूषण नहीं पहन सकतीं, शृंगार नहीं कर सकतीं, शुभ कार्यों में उनकी उपस्थिति अपशकुन मानी जाती है, उन्हें परिवार में अनेक यातनाएं दी जाती हैं। इन सभी परिस्थितियाँ से मुक्ति दिलाने के लिए नैतिकता का तकाज़ा है विधवाओं को पुनर्विवाह की छूट दी जाय।
2. **यौन-सम्बन्धी नैतिकता का दोहरा मापदण्ड**–पुरुष को तो स्त्री की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करने की समाज ने छूट दी है, किन्तु स्त्री को नहीं। यौन सम्बन्धी इस दोहरे मापदण्ड को समाप्त करने के लिए विधवा पुनर्विवाह होने चाहिए।
3. **आत्म-संयमः एक विडम्बना**–हिन्दू धर्मशास्त्रों में स्त्री से संयमित जीवन व्यतीत करने की आशा की गयी जो सम्भव नहीं है। काम पूर्ति एक प्राकृतिक आवश्यकता है, इसके अभाव में कई शारीरिक एवं मानसिक रोग पैदा होते हैं। अत: विधवा पुनर्विवाह आवश्यक है।
4. **व्यभिचार को रोकने के लिए**–यौन अनाचार को रोकने के लिए आवश्यक है कि विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति दी जाय।
5. **वेश्यावृत्ति एवं धर्म-परिवर्तन** को रोकने के लिए भी विधवा पुनर्विवाह आवश्यक है क्योंकि भरण-पोषण एवं यौन इच्छाओं की पूर्ति के अभाव में कई विधवाएं वेश्या बन जाती हैं या ईसाई, मुसलमान, आदि बन जाती हैं। इसका कारण यह है कि ईसाइयों एवं मुसलमानों में विधवाओं को पुनर्विवाह की छूट रही है।
6. **अपराध रोकने हेतु**–विधवा पुनर्विवाह स्वीकृत होने पर यौन अपराध, भ्रूण हत्या एवं आत्महत्याओं की संख्या घटेगी।
7. **व्यक्तित्व के विकास के लिए**–विधवा स्त्रियों एवं उनके बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है कि उनका पुनर्विवाह कराया जाय।
8. **समाज के एक बड़े अंग की समस्या**–यह समस्या समाज के लगभग ढाई करोड़ विधवाओं की समस्या है जिसे हल करना मानवता का तकाज़ा है।
9. **धर्मशास्त्रों की स्वीकृति**–प्राचीन धर्मशास्त्रों में भी विधवाओं के पुनर्विवाह की स्वीकृति दी गयी है। वशिष्ठ, कोटिल्य तथा नारद, आदि ने भी विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा दी है। केवल मध्ययुग में इस पर रोक लगा दी गयी थी।
10. **बहुमत की पुकार**–समाज के अधिकांश व्यक्ति विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में हैं। कपाड़िया ने 513 छात्रों का साक्षात्कार लिया, उनमें से 345 ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में अपनी राय प्रकट की। अत: जनमत का आदर किया जाना चाहिए।

नोट

11. **मानवता की मांग**–मानवता की मांग है कि स्त्री व पुरुष को सभी अधिकार समान रूप से दिये जाएँ। विधवाओं को भी जीवित रहने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। जीने का अधिकार एक सार्वभौमिक मौलिक अधिकार है।

विधवाओं की समस्याओं से द्रवित होकर और इसके औचित्य के कारण ही कई समाज-सुधारकों तथा आर्य समाज, ब्रह्म समाज एवं सर जे. सी. ग्राण्ट, आदि ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अनेक प्रयास किये, परिणामस्वरूप 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। लेकिन मात्र कानून बनने से ही समस्या का समाधान नहीं हो जाता है जब तक कि समाज ऐसे विवाहों को स्वीकृति प्रदान न करे और ऐसे विवाह करने वालों को सम्मान न दे। वर्तमान में स्त्रियों की शिक्षा एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि, जातीय नियन्त्रण की शिथिलता, औद्योगीकरण एवं नगरीकरण, आदि के साथ-साथ विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में जनमत बढ़ रहा है और ऐसे विवाहों की संख्या बढ़ी है, किन्तु इसमें युवकों को रचनात्मक भूमिका निभानी होगी, उन्हें आगे आना होगा और समाज की रूढ़िवादी मान्यताओं को तोड़ना होगा। समाज-सुधारकों, सरकार एवं जातीय संगठनों को ऐसे विवाहों को प्रोत्साहन देना होगा तभी यह भीषण समस्या हल हो सकती है।

हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 (Hindu Widow Remarriage Act, 1856)

सन् 1856 से पूर्व विधवाओं को न तो पुनर्विवाह की स्वीकृति थी और न उन्हें अपने मृत पति की सम्पत्ति में कोई अधिकार ही था। बाल-विवाह एवं बेमेल-विवाह के कारण समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ गयी थी तथा उनकी दशा बड़ी दयनीय थी। कई विधवाएं तो धर्म-परिवर्तन कर मुसलमान या ईसाई बन गयी थीं। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा राजा राममोहन राय ने सरकार का इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। उनके प्रयासों से 1856 में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। इस अधिनियम द्वारा हिन्दू विधवाओं की पुनर्विवाह की कानूनी बाधाओं को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं–(1) यदि दूसरे विवाह के समय किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो चुकी हो, तो यह विवाह वैध माना जायेगा। (2) इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न सन्तानें भी वैध मानी जायेंगी। (3) यदि पुनर्विवाह के समय विधवा नाबालिग है और पहले पति से उनका सम्बन्ध नहीं हुआ है तो पुनर्विवाह के लिए पिता, दादा, बड़े भाई या नज़दीक के किसी रक्त सम्बन्धी की स्वीकृति लेना आवश्यक है। (4) यदि विधवा बालिग है और विधवा होने से पूर्व पति से यौन-सम्बन्ध स्थापित कर चुकी हो तो वह किसी सम्बन्धी की स्वीकृति के बिना भी पुनर्विवाह कर सकती है। (5) पुनर्विवाह करने वाली स्त्री को अपने मृत पति की सम्पत्ति में अधिकार नहीं होगा। (6) यदि मृत पति ने उसके लिए कोई वसीयतनामा लिखा हो या परिवार के सदस्यों से कोई समझौता हो गया हो तो पुनर्विवाह कर लेने पर भी उसे अपने पूर्व पति की सम्पत्ति पर अधिकार होगा। (7) पुनर्विवाह के बाद स्त्री को नये परिवार में वे सारे अधिकार मिलेंगे जो पहली बार विवाह करने पर उसे प्राप्त होते हैं।

नोट्स वैदिक काल में भी विधवा विवाह का प्रचलन था। वशिष्ठ कौटिल्य तथा नारद, आदि ने भी विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा दी है। केवल मध्य युग में इस पर रोक लगा दी गयी थी। अत: विधवा विवाह धर्म सम्मत है।

17.3 सारांश (Summary)

- सामाजिक एवं कानूनी रूप से पति-पत्नी के विवाह संबंधों की समाप्ति ही विवाह-विच्छेद कहलाता है।
- मनु ने स्त्री के बांझ होने, केवल लड़कियाँ होने, झगड़ालू होने पर दूसरा विवाह करने की बात कही है।

नोट

- हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में न्यायिक पृथक्करण और विवाह-विच्छेद दो अलग बातें हैं। न्यायिक पृथक्करण के अंतर्गत कुछ आधारों पर पति-पत्नी को अलग रहकर मतभेदों को भुलाने की आज्ञा दी जा सकती है। यदि वे मतभेदों को भुलाने में सफल हो जाते हैं तो वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की जा सकती है।
- हिन्दुओं में पति को पत्नी की मृत्यु होने पर दूसरा विवाह करने की छूट दी गई है किन्तु पत्नी को पति की मृत्यु होने पर दूसरा विवाह करने की मनाही है। उसे कई सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है।

17.4 शब्दकोश (Keywords)

1. **नारीवाद (Feminism)**—जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर स्त्रियों के अधिकारों के समर्थन को नारीवाद का नाम दिया गया है।
2. **विवाह-विच्छेद के कारण (Causes of Divorce)**—पत्नी का बांझपन, पति या पत्नी का अनैतिक व्यवहार, बिमार या स्वभाव के कारण इत्यादि विवाह-विच्छेदन का कारण है।

17.5 अभ्यास-प्रश्न (Review Questions)

1. विवाह-विच्छेद के कारण क्या हैं?
2. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में क्या-क्या बातें कही गई हैं?
3. विधवा विवाह के निषेध के परिणाम क्या होते हैं?
4. विधवा पुनर्विवाह का औचित्य बताएँ?
5. हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 क्या है?

उत्तर : स्व-मूल्यांकन (Answer: Self Assessment)

1. फोनसेका	2. संस्कार	3. अधिकार
4. विधवा	5. विधवाओं	6. आत्महत्या।

17.6 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

पुस्तकें

1. भारत में विवाह एवं परिवार—के. एम. कपाड़िया।
2. भारतीय समाज एवं सामाजिक संस्थाएँ—डॉ. आर. एन. सक्सेना।